राजीव कृष्णा,
आई.पी.एस.

डीजी परिपत्र संख्या-38/2026
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं. 0522-2724003/2390240, फैक्स नं. 0522-2724009
सीयूजी नं 9454400101
ईमेल: police.up@nic.in
वेबसाईट https:uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:जुलाई 31, 2026

विषय: पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर सत्यापन हेतु प्राप्त प्रकरणों में आवेदक के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरणों तथा उनकी अद्यतन स्थिति की सूचना पूर्ण सतर्कता के साथ अंकित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

रिट सी संख्या-27006/2026, जतिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2026 में मा0 उच्च न्यायालय ने याची के पासपोर्ट के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में मात्र एक अपराध लम्बित दर्शाये जाने जबकि उसके विरुद्ध एक अन्य अपराधिक मामला भी लम्बित था, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत आदेशित किया गया है—

> Upon perusal of the pleadings, we find that other case which is pending against the petitioner is case crime no. 250 of 2024 under Section 323, 504, 506 of erstwhile IPC. Upon perusal of the verification report dated 15th June, 2026, we are surprised to know that second case is not mentioned in the police verification report. We fail to understand as to why police has submitted such a verification report missing out the total number of criminal case pending against applicant and current status thereof.
>
> Let Director General of Police file his personal affidavit in the matter as to under what circumstances police has been submitting such verification reports to the Regional Passport Officer and what is the procedure being followed in submitting such report.
>
> Issuance of passport is a serious matter where parties seek to travel abroad and if for concealment of the material facts a passport is issued who will bear the liability. In our considered view police in verification report should not only mention all the criminal cases registered against such person seeking passport but also status thereof on the date of submission of verification report.

2- पासपोर्ट सत्यापन के समय आवेदक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में सूचनायें भरते समय पूर्ण सतर्कता बरतने हेतु डीजी परिपत्र संख्या-09/2023 दिनांक 02.03.2023 निर्गत किया गया है, किन्तु सम्भवतः इस परिपत्र के माध्यम से निर्गत निर्देशों का पूर्ण अनुपालन थाना स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सत्यापन हेतु पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों में आवेदक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों एवं उनकी अद्यतन स्थिति की सूचना भरते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाए तथा आवेदक के सम्बन्ध में थाने के रिकार्ड में उपलब्ध समस्त सूचनाओं के आधार पर ही त्रुटिहीन विवरण अंकित किया जाए। यदि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय

(राजीव कृष्णा) 31/7

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षिक, उत्तर प्रदेश।